न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 81/2019

अनवान :

1. दयाराम पुत्र शंकर जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।
2. विनोद पुत्र शंकर जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1 मीरां पत्नी गुगनराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

2 शंकर पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

3 ओमवति पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

4 आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानूप्रताप सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री पवन सिंहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 342/327 के खसरा सं0 467 की 9.915है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मीरा के नाम 392 हिस्सा बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मीरां का नाम कलमजन किया वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण दयाराम व विनोद को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 81/2019

अनवान :

1. दयाराम पुत्र शंकर जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।
2. विनोद पुत्र शंकर जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1 मीरां पत्नी गुगनराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

2 शंकर पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

3 ओमवति पुत्री गुगनराम जाति जाट निवासी डूंगराना त0 भादरा।

4 आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री भानूप्रताप बैनीवाल**: वादी**
वकील श्री पवन सिहाग **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 25.01.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता यसं0 342/327 के खसरा सं0 467 की 9.915है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मीरा के नाम 392 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 शंकर के नाम से 196 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता गुगनराम की खातेदारी हुआ करती थी। गुगनराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मीरां ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने से साक्ष्य की आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:07 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु दयाराम पुत्र शंकर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम डूंगराना संवत 2071–74 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डूंगराना प्रदर्श 2, दान पत्र दिनांक 29.01.1958 उप पंजीयक भादरा प्रदर्श 3, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 3ए प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने माता व पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 2 में वारिसप्रमाण पत्र में 2 पुत्र दयाराम व विनोद के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 342/327 के खसरा सं0 467 की 9.915है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मीरा के नाम 392 हिस्सा बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मीरां का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में वादीगण बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 342/327 के खसरा सं0 467 की 9.915है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मीरा के नाम 392 हिस्सा बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मीरां का नाम कलमजन किया वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण दयाराम व विनोद को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner